राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक :– एफ.7(4)प्रवेश नीति / अकाद / आकाशि / 2026–24646–8864577

आदेश

समस्त राजकीय महाविद्यालयों में सत्र 2024–25 से महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश में कुल स्वीकृत सीटों में से 30 प्रतिशत सीटें (क्षैतिज) आरक्षित की गयी हैं तथा सत्र 2019–20 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा अति पिछडा वर्ग (MBC) के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश में क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया था ।

महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान तथा अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण के मद्देनजर सभी संकायों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए निर्धारित सीटों में 25 प्रतिशत की अभिवृद्धि करते हुए कला एवं वाणिज्य संकाय के प्रत्येक सेक्शन में सीटों की संख्या 100 तथा विज्ञान संकाय के सेक्शन में सीटों की संख्या 88 की जाती है । प्रवेश के समय सभी आरक्षित वर्ग के आवेदकों को बढ़ी हुई संख्या के आधार पर नियमानुसार आरक्षण दिया जायेगा ।

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में सभी संकायों में वर्तमान सत्र 2026–27 में सीट मैट्रिक्स निम्नानुसार रहेगी –

संकाय/वर्ग	कुल संख्या	सामान्य	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य पिछडा वर्ग	अति पिछडा वर्ग	EWS
कला/वाणिज्य	100	36	16	12	21	05	10
विज्ञान	88	34	14	10	18	04	08

नोटः– 1. यह सीट मैट्रिक्स सांकेतिक है। सीट मैट्रिक्स का निर्धारण महाविद्यालय में संधारित रोस्टर रजिस्टर के अनुसार किया जाए । यह अभिवृद्धि केवल सत्र 2026–27 के लिए मान्य होगी।
नोटः– 2 बारां जिले के महाविद्यालय प्रवेश नीति के बिन्दु संख्या 6.1.11 के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(प्रो0 विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक अकादमिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, जयपुर
5. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
6. कुलसचिव, सम्बद्धक विश्वविद्यालय, राजस्थान।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
8. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
9. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
10. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक अकादमिक

RajKaj Ref No.:
22244583

Signed by: VIJAY SINGH JAT, Joint Director
Date: 2026-06-02 10:38:34 +05:30